दिनांक 04.01.2024

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय,
जयपुर

विषयः– राजस्थान को विकसित एवं सुशासित राज्य बनाने हेतु सुझाव।

महोदय,

सादर निवेदन है कि दैनिक भास्कर में यह अपील की गयी है कि आम जनता राजस्थान को विकसित एवं सुशासित राज्य बनाने हेतु सुझाव दे। लेकिन दैनिक भास्कर के ऑनलाईन लिंक पर केवल दो ही सुझाव दिये जा सकते हैं।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से निम्नांकित सुझाव समुचित कार्यवाही हेतु दिये जा रहे हैं –

1. राजस्थान में पूर्व की भाजपा सरकारों ने चुंगी कर तथा गृह कर समाप्त किये थे जिससे नगरीय निकायों की आमदनी भारी मात्रा में कम हो चुकी है और सफल नगरीय प्रशासन संचालन के लिये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिये सुझाव है कि **गृह कर को पुनः शुरु किया जाये**। और यदि इसे अनिवार्य नहीं किया जाता है तो स्वैच्छिक अवश्य किया जाये। मेरा अनुमान है कि राज्य के दस प्रतिशत परिवार अवश्य ही स्वेच्छा से गृह कर जमा करवायेंगे। ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके घर के आगे जिम्मेदार नागरिक का टैग या संकेत लगाया जा सकता है अथवा ऐसे नागरिकों का राज्य के अधीन हाइवे पर टोल टैक्स माफ किया जा सकता है।
2. राज्य में खासतौर से शहरी क्षेत्रों में मकान मालिकों द्वारा घर के आगे सड़क पर लम्बा रैम्प बनाकर या फैंसिंग कर अतिक्रमण किया जाता है और इसके पश्चात् 90 प्रतिशत घरों के वाहन सड़क या गली में पार्क किये जाते हैं। सुझाव है कि इन **अतिक्रमणों को तोड़कर** इनका खर्चा जुर्माने के रुप में संबंधित मकान मालिकों से लिया जाये तथा सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त कर लिया जाये। चूंकि कई कॉलोनियों में घर छोटे हैं तथा उनमें गाड़ियाँ पार्क नहीं हो सकती हैं, उनके लिये नगरीय संस्थाओं द्वारा कॉलोनी वाईज मल्टी लेवल स्थायी पार्किंग जगह बनाते हुये वाहन चालकों से शुल्क लेकर सुविधा दी जाये।
3. बड़े शहरों में फ्लेट्स, कॉम्पलेक्स, मल्टीप्लेक्स इत्यादि विशाल भवन बनते हैं। ऐसे भवनों के निर्माता से स्वीकृति देते समय Impact Tax लिया जाना चाहिये। हैदराबाद एवं बैंगलोर शहर में यह टैक्स सफलतापूर्वक लिया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

4. शहरों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एकत्र किये जा रहे कचरा संग्रहण की व्यवस्था नितांत असंतोषजनक है। क्योंकि न तो हूपर गाड़ियाँ रोजाना नियमित समय पर आती हैं और न ही गीला और सूखा कचरा अलग–अलग लिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोहल्ला वाईज किसी एक स्थान पर कचरा एकत्र के डम्पर को हटा दिया गया है। ऐसे में अकेले रहने वाले या भिन्न समय की डयूटी वाले या अन्य कारणों से लोग हूपर गाड़ी को कचरा थैली नहीं दे पाते हैं। अतः सुझाव है कि **घरों से कचरा एकत्र की मासिक शुल्क राशि की दर बढाते हुए प्रत्येक मोहल्ले में एक बड़ा डम्पर भी रखा जाये** ताकि लोग इधर–उधर कचरा नहीं डालें।

5. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार कारागार राज्य सूची का विषय है और राजस्थान सहित सभी राज्यों में जेलें क्षमता से अधिक कैदियों से भरी हुयी हैं। इससे राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। सुझाव है कि प्रत्येक **वयस्क कैदी को जेल में रखने और उसे भोजन उपलब्ध कराने का मासिक खर्चा केदी के परिवार से लिया जाये।** इससे अपराधों में भी गिरावट आयेगी और प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को अपराध की दुनिया में जाने से रोकेगा। और यदि कोई अपराधी अपने परिवार के बस में नहीं है तो ऐसा परिवार अपराधी को सार्वजनिक रुप से घर की संपति और संबंधों से पृथक घोषित करे।

6. भारतीय शहरी घरों में **कुत्ते पालने का फैशन** तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कुत्ते गलियों में यहाँ–वहाँ गन्दगी फैलाते हैं तथा लोगों को काटने और बच्चों के मारने की घटनाएं भी सामने आयी हैं। और इन कुत्तों के कारण आए दिन झगड़े होते हैं। अतः इस संबंध में सम्पूर्ण **कानूनी नियमावली बनाई जानी चाहिये।**

7. राजस्थान सहित देशभर में सड़कों पर आवारा पशु और कुत्ते प्रतिदिन सैकड़ों नागरिकों को घायल करते हैं अथवा प्राण लेते हैं। सुझाव है कि समस्त **गायों को गौशाला में शिफ्ट किया जाये** और राज्य भर के समस्त **पशुओं और पालतु जानवरों का पंजीकरण** करके उन पर पूर्व की भाँति टैग लगाया जाये ताकि आवारा स्थिति में मिलने पर वास्तविक मालिक का पता लग सके।

8. राज्य के समस्त नागरिकों और परिवारों की संपति का विवरण आधार से जोड़ कर के राज्य के पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाये। **एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक मकान अथवा प्लॉट नहीं होना चाहिये।** स्थिति यह है कि समाज के दो प्रतिशत लोगों ने अलग–अलग शहरों में दस–बीस प्लॉट लेकर के जमीनों को इतना महंगा कर दिया है कि एक आम व्यक्ति अपने बूते एक छोटा सा आशियाना नहीं बना सकता।

9. यह देखा गया है कि टोल टैक्स बूथ पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत कार्मिक अपना आई कार्ड दिखा कर टोल में छूट मांगते हैं और वस्तुतः कुछ ही जरुरी विभागों को इस प्रकार की छूट प्राप्त है। नतीजा यह

Scanned with OKEN Scanner

निकलता है कि टोलकर्मी और संबंधित सरकारी कार्मिक में बहस होती रहती है और उस वाहन लेन में जाम लग जाता है। सुझाव है कि **टोल छूट की सूची से बाहर विभागों के ऐसे कार्मिकों का आई कार्ड तत्काल स्कैन करके उस विभाग के नियोक्ता अधिकारी को यह कहते हुये भेजा जाये** कि आपके अमुक कार्मिक ने अमुक समय एवं दिनांक पर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है। इससे इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और टोल बूथ पर जाम भी नहीं लगेगा।

आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा में प्रस्तुत है।

सादर

भवदीय

प्रो. सुरेन्द्र कटारिया
लोक प्रशासन विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
मोबाईल– 9929155426
ईमेल– skkataria64@rediffmail.com

घर का स्थायी पता:–
81/91 नीलगिरी मार्ग,
मानसरोवर, जयपुर 302020

Scanned with OKEN Scanner